



उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की अनुपूरक कार्यसूची

गुरुवार, 28 भाद्रपद, शक संवत्, 1935

(दिनांक : 19 सितम्बर, 2013)

26(क) वित्तीय वर्ष 2013-2014 की प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

- (1) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत रू0 266500 हजार (छब्बीस करोड़ पैंसठ लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।
- (2) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-03 मंत्रि-परिषद के अन्तर्गत रू0 213960 हजार (इक्कीस करोड़ उन्तालीस लाख साठ हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।
- (3) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रू0 57781 हजार (पांच करोड़ सतहत्तर लाख इक्कासी हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।
- (4) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रू0 19681926 हजार (एक हजार नौ सौ अरसठ करोड़ उन्नीस लाख छब्बीस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।
- (5) वित्त मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं के अन्तर्गत रू0 5963186 हजार (पाँच सौ छियानवे करोड़ इक्कीस लाख छियासी हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।
- (6) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-08 आबकारी के अन्तर्गत रू0 14850 हजार (एक करोड़ अड़तालीस लाख पचास हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।

- (7) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रू0 782219 हजार (अठहत्तर करोड़ बाईस लाख उन्नीस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।
- (8) शिक्षा मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रू0 2544448 हजार (दो सौ चौवन करोड़ चौवालीस लाख अड़तालीस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।
- (9) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रू0 446167 हजार (चौवालीस करोड़ इक्कसठ लाख सरसठ हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।
- (10) पेयजल मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रू0 2302420 हजार (दो सौ तीस करोड़ चौबीस लाख बीस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।
- (11) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत रू0 143100 हजार (चौदह करोड़ इक्तीस लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।
- (12) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत रू0 450006 हजार (पैंतालीस करोड़ छः हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।
- (13) श्रम मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत रू0 295028 हजार (उन्तीस करोड़ पचास लाख अठाईस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।
- (14) कृषि मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रू0 2581590 हजार (दो सौ अठ्ठावन करोड़ पन्द्रह लाख नब्बे हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।
- (15) सहकारिता मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत रू0 79787 हजार (सात करोड़ सन्तानवे लाख सत्तासी हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।
- (16) ग्राम्य विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रू0 78812 हजार (सात करोड़ अठासी लाख बारह हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।

- (17) सिंचाई मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रु0 4422843 हजार (चार सौ बयालीस करोड़ अठाईस लाख तैंतालीस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।
- (18) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत रु0 244406 हजार (चौबीस करोड़ चौवालीस लाख छः हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।
- (19) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रु0 2400600 हजार (दो सौ चालीस करोड़ छः लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।
- (20) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत रु0 264237 हजार (छब्बीस करोड़ बयालीस लाख सैंतीस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।
- (21) परिवहन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत रु0 641920 हजार (चौंसठ करोड़ उन्नीस लाख बीस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।
- (22) खाद्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत रु0 465551 हजार (छियालीस करोड़ पचपन लाख इक्यावन हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।
- (23) पर्यटन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत रु0 5400 हजार (चौवन लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।
- (24) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत रु0 284800 हजार (अठाईस करोड़ अड़तालीस लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।
- (25) पशुपालन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत रु0 219052 हजार (इकीस करोड़ नब्बे लाख बावन हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।
- (26) उद्यान मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-29 औद्योगिक विकास के अन्तर्गत रु0 36910 हजार (तीन करोड़ उनहत्तर लाख दस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।

- (27) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत रु0 2424677 हजार (दो सौ बयालीस करोड़ छियालीस लाख सतहत्तर हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।
- (28) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत रु0 842916 हजार (चौरासी करोड़ उन्तीस लाख सौलह हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार की जाय।
- 26(ख) वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (2013-14 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
- 26(ग) वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (2013-14 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करेंगे।
- 26(घ) वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2013-14 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।
- 26(ङ) वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2013-14 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

देहरादून :

दिनांक : 19 सितम्बर, 2013

आज्ञा से,



(जगदीश चन्द्र)

अपर सचिव।



उत्तराखण्ड विधान सभा


उत्तराखण्ड विधान सभा की अनुपूरक कार्यसूची

गुरुवार, 28 भाद्रपद, शक संवत्, 1935

(दिनांक : 19 सितम्बर, 2013)

- 24 (क) कृषि मंत्री, उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।
- (ख) कृषि मंत्री, उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करेंगे।
- (ग) चिकित्सा शिक्षा मंत्री, हेमवती नन्दन बहुगुणा सम्बद्धक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।
- (घ) चिकित्सा शिक्षा मंत्री, हेमवती नन्दन बहुगुणा सम्बद्धक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करेंगे।
- (ङ) मुख्यमंत्री, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।
- (च) मुख्यमंत्री, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करेंगे।

देहरादून :
दिनांक : 19 सितम्बर, 2013

आज्ञा से,

(जगदीश चन्द्र)
अपर सचिव।